

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

2020/00207

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट



श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह गोयल  
नेवासी नयावास नं. 2 सिरौही  
जिला सिरौही

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
जिला रसद अधिकारी सिरौही

केस मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 09 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
7.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरौही को दिनांक 16.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जनवरी 2019 से मई 2020 तक राशन की दुकानों का कहां-कहां निरीक्षण हुआ व गरीब परिवार के लोगों को राशन सामग्री नहीं मिल रही है से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरौही को दिनांक 16.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जनवरी 2019 से मई 2020 तक राशन की दुकानों का कहां-कहां निरीक्षण हुआ व गरीब परिवार के लोगों को राशन सामग्री नहीं मिल रही है से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, 

219-20  
13/8/20